


HIGH COURT OF MADHYA PRADESH, JABALPUR

Endorsement No. C/4145 Jabalpur, dated 10.10.2017.

The order of the Government of M. P. No. 4390/21-ब(एक)/2017, Bhopal, dated 09.10.2017 in connection with continuation of services of Court Managers and their staff is forwarded to;

1. Registrar cum P.P.S. to Hon'ble the Chief Justice, High Court of M. P., Jabalpur for kind information of Hon'ble the Chief Justice,
2. All the District and Sessions Judges in the State.
3. The Registrar (I.T.) for appropriate action in connection with uploading the notification on the website of the High Court.


(Vivek Saxena)
O.S.D. (D.E.)

मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग

क्रमांक 4390 /21-ब(एक)/2017

भोपाल, दिनांक 09.10.2017

प्रति.

रजिस्ट्रार जनरल,
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय,
जबलपुर.



विषय :- संविदा कोर्ट मैनेजर एवं उनके स्टॉफ के पदों को निरंतर करने बाबत।
संदर्भ :- म.प्र. उच्च न्यायालय का पत्र क्रं. सी/3011/IV-3-1/65 जबलपुर दिनांक 14.07.2017

-----00-----

राज्य शासन, कोर्ट मैनेजर एवं उनके स्टॉफ के संविदा आधार पर सृजित पदों को निरंतर करने के उच्च न्यायालय के प्रस्ताव के अनुक्रम में विभागीय आदेश क्रं. 1066/21-ब(एक)/2015 भोपाल, दि. 06.05.2015 तथा आदेश क्रं. 1237/21-ब(एक)/2016 भोपाल, दि. 31.03.2016 तथा आदेश क्रं. 1441/21-ब(एक)/2017 भोपाल दि. 01.04.2017 द्वारा दिनांक 30.09.2017 तक निरंतर किए गए पदों में से वर्तमान में कार्यरत 10 संविदा कोर्ट मैनेजर एवं उनके स्टॉफ के 18 संविदा पदों को निरंतरता में दिनांक 30.09.2018 तक अथवा नियमित कोर्ट मैनेजर एवं सपोर्टिंग स्टॉफ के पदों पर भर्ती होने तक, जो भी पहले हो, निरंतर करता है।

उक्त संबंध में होने वाला व्यय उच्च न्यायालय की स्थापना पर मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन(102) उच्च न्यायालय योजना (0573)-उच्च न्यायालय (भारित) एवं सामान्य स्थापना पर मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन (105)सिविल और सेशन न्यायालय योजना (4497)-सामान्य स्थापना (मतदेय) की मद-11-वेतन भत्ते की उपमद-025-संविदा कर्मचारियों का पारिश्रमिक के अंतर्गत विकलनीय होगा।

यह स्वीकृति वित्त विभाग के पृष्ठांकन क्रमांक 21.9.2017/CR-1155/2017/क-1 दिनांक 09.10.2017 के अनुक्रम में जारी की जा रही है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

पृष्ठ सं.
दो दो प्रति (द्वि-मूल) (द्वि-मूल)
महालेखक (आ.के. वाणी) के
वित्त विभाग क्रं. 21-9/17/CR-1155/17/क-1
दिनांक 09.10.17
की यह 1

(आ.के. वाणी) 9x1

सचिव,

म.प्र. शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग

निरंतर....2

प्रतिलिपि

1. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय-व्यय विभाग (वित्त आयोग प्रकोष्ठ) सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली,
2. भारत सरकार, विधि एवं न्याय मंत्रालय, जैसलमेर हाउस, मानसिंह रोड, नई दिल्ली,
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, वल्लभ भवन, मंत्रालय, भोपाल,
4. कार्यालय, महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर,
5. आयुक्त, कोष एवं लेखा, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल,
6. जिला कोषालय अधिकारी, जिला मध्यप्रदेश,

(शरतचन्द्र सक्सेना)

अपर सचिव.

म.प्र. शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग